

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का० आ० सं०-7/स्था० (उ०लि०)-03-05/2018.....1955/- मो० गालिब अंजुम, उत्पाद लिपिक, सीवान को अभ्यावेदन के आधार पर सीवान जिला से समस्तीपुर जिला उत्पाद कार्यालय में अगले आदेश तक स्थानान्तरित किया जाता है।


2. श्री संजीव कुमार, उत्पाद लिपिक, समस्तीपुर को अगले आदेश तक कार्यालय उपायुक्त उत्पाद, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में स्थानान्तरित किया जाता है।
3. अभ्यावेदन के आधार पर हुए स्थानान्तरण को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. प्रस्ताव पर आयुक्त उत्पाद, बिहार की सहमति प्राप्त है।

ह०/-  
(श्रीकृष्ण पासवान)  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 7/स्था० (उ०लि०)-03-05/2018.....1955/-

पटना, दिनांक:- 8-6-18

प्रतिलिपि:- उपायुक्त उत्पाद तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/अधीक्षक उत्पाद सीवान/अधीक्षक उत्पाद समस्तीपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मो० गालिब अंजुम, उत्पाद लिपिक/श्री संजीव कुमार, उत्पाद लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त आयुक्त उत्पाद  
बिहार, पटना।

3-मै